5775/06.11.15

संख्या-1088/78-1-2015-165आई.टी/2014टीसी

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

808
6.11.15

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 04 नवम्बर, 2015

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4.1 (पूंजी उपादान) के अन्तर्गत इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMCs) की स्थापना, इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम निवेश को आकर्षित करने, राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और विकसित करने तथा प्रादेशिक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय 4 में राज्य में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स तथा इन ईएमसी में एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु विभिन्न प्रोत्साहन प्रस्तावित किये गये हैं। ये प्रोत्साहन प्रथम 3 इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को अनुमन्य होंगे, जिसे पुनः उक्त नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति के निर्णयानुसार स्थापित होने वाले अन्य इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

3- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4.1 में पूंजी उपादान प्रदान किये जाने की निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है:-

प्रस्तर-4.1 पूंजी उपादान

(i) भूमि के अतिरिक्त स्थिर पूंजी पर, रू0 5 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, 15 प्रतिशत पूंजी उपादान, अनुमन्य होगा।

(ii) यह उपादान इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर की इकाइयों को तथा वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा मूल्यांकित पूंजी पर ही अनुमन्य होगा।

(iii) यह उपादान प्रथम 10 इकाइयों को ही, उनके व्यावसायिक कार्यचालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि से अनुमन्य होगा।

पी० एण्ड एस०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06.11.2015
(भूपेन्द्र एस. चौधरी)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

File

http://shasanadesh.up.nic.in

4 उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को पूंजी उपादान की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

1- <u>पूंजी उपादान हेतु पात्रता</u>

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4.1 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु निम्न मानकों को पूर्ण करने वाली इकाइयां पात्र होंगीः-

(i) आवेदक इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले प्रथम तीन (एवं अन्य जैसा कि सशक्त समिति निर्धारित करे) इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में स्थापित हो, जिसके द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हो।

(ii) यह उपादान केवल इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में परिचालनरत इकाइयों को तथा वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा मूल्यांकित (evaluated) पूंजी पर ही अनुमन्य होगा।

(iii) पूंजी उपादान, ई.एम.सी. में स्थापित होने वाली ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (recycling units) को भी अनुमन्य होगा।

(iv) यह उपादान प्रथम 10 इकाइयों को ही उनके व्यासायिक कार्यचालन अर्थात प्रथम वाणिज्यिक लेन देन की तिथि से अनुमन्य होगा।

2- <u>पूंजी उपादान अवधि</u>

2.1 पूंजी उपादान उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली योजना-अवधि के बीच पंजीकृत होकर व्यावसायिक उत्पादन/परिचालन प्रारम्भ करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।

2.2 इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन/परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में अपना दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3- <u>आच्छादन</u>

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4 <u>परिभाषायें</u>

4.1 "इकाई" का तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली (Proprietorship) कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.2 "कम्पनी" से तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

4.3 "सोसायटी" से तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया हो।

4.4 "पार्टनरशिप" से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम-1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

4.5 "वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।

4.6 "वर्ष" का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

4.7 इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय का तात्पर्य राज्य में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स तथा इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की स्थापना के लिए स्थायी मिशन निदेशक अथवा शासन द्वारा नामित अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित मिशन निदेशालय से है।

4.8 "स्थिर पूंजी निवेश" का तात्पर्य भूमि को छोड़कर स्थिर पूँजी पर निवेश से है, जिसका मूल्यांकन किया जायेगा और यह अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न हो सकती है।

4.9 "ई.एस.डी.एम. उद्योग" का तात्पर्य इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवें मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है जिसके अन्तर्गत उदाहरणस्वरूप निम्नवत् मुख्य घटक सम्मिलित हैं, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं:-

<u>इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद</u>

क मोबाइल उपकरण: मोबाइल हैण्डसेट एवं इसके पार्ट्स ।

ख दूरसँचार उपकरण: माडेम, राउटर्स, स्विचेज इत्यादि।

ग उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स: टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरे, सेट टाप बाक्सेज एवं इसके पार्ट्स इत्यादि।

घ आटोमोबाइल इलेक्ट्रानिक्स: विद्युत वाहन, पावर विन्डो इत्यादि।

च औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स: पावर इलेक्ट्रानिक्स, एल.ई.डी. लाईटिंग, सीएफएल, एनर्जी मीटर इत्यादि।

छ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं हार्डवेयर: डेस्कटाप, नोटबुक, टैबलेट, मानीटर्स, मेमोरी कार्ड एवं इसके पार्ट्स इत्यादि।

ज अन्य इलेक्ट्रानिक्स: एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण सहित सामरिक उपकरण

<u>इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स</u>

अ एक्टिव कम्पोनेन्ट्स: ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स तथा सी.आर.टी इत्यादि ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ब पैसिव कम्पोनेन्ट्सः रेजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स इत्यादि ।

स इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्सः पीसीबी, पावर डिवाइसेज, रिले इत्यादि।

<u>सेमीकन्डक्टर डिजाइन</u>

अ एम्बेडेड साफ्टवेयर डेवलपमेण्ट।

ब वीएलएसआई डिजाइन।

स हार्डवेयर/बोर्ड डिजाइन।

4.10 "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ई.एम.एस.)" का तात्पर्य मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स तथा असेम्बलीज की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, निर्माण, वितरण एवं अनुरक्षण के कार्य से ।

4.11 "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ई.एम.सी)" ई.एम.सी. विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Zone) के सदृश ही होंगे जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे। ये क्लस्टर्स उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों उनकी पूरी श्रृंखला के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स सब-असेम्बलीज, सामग्री के विनिर्माण हेतु वृहद्, मध्यम एवं लघु स्तरीय उद्यमों की स्थापना की सुगमता हेतु हैं।

4.12 "फैब इकाई" वह सेमीकण्डक्टर संरचना सॅयंत्र है, जहां इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप एल.सी.डी. आदि जैसी सामग्री निर्मित होती है।

4.13 "व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूंजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

4.14 "नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0)" का तात्पर्य इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय के अधीनस्थ नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

5- <u>पूंजी उपादान का विवरण</u>

5.1 पूंजी उपादान केवल ई.एस.डी.एम. उद्योग क्षेत्र में परिचालनरत इकाईयों को प्रदान किया जायेगा तथा भूमि को छोड़कर अन्य स्थिर पूंजी निवेश पर अनुमन्य होगा जिसका मूल्यांकन (evaluation) बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जायेगा।

5.2 सभी नई औद्योगिक इकाइया, भूमि को छोड़कर स्थिर पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी तथा इसकी अधिकतम सीमा रू0 5 करोड़ प्रति इकाई होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.3 सॅयंत्र एवॅ मशीनरी (Plant and Machinery) के मूल्य आगणन हेतु स्थल पर (on site) औद्योगिक सॅयंत्र एवॅ मशीनरी की लागत को संज्ञान में लिया जायेगा। तथापि वास्तविक मूल्यांकन (evaluation) अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न हो सकता है।

5.4 पुराने सॅयंत्र एवॅ मशीनरी अथवा ऐसे सॅयंत्र एवॅ मशीनरी जिनका भुगतान नकद किया गया हो, पूंजी उपादान पर विचार हेतु पात्र न होंगे।

5.5 किसी औद्योगिक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्धन को, उसके द्वारा सम्पूर्ण अथवा आंशिक अनुदान/उपादन प्राप्त किये जाने के पश्चात, व्यवसायिक उत्पादन/परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना, सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई अथवा उसके किसी भाग की अवस्थिति में परिवर्तन अथवा उसके कुल स्थिर पूंजी निवेश में यथेष्ट कमी अथवा निस्तारण करने की अनुमति न होगी।

5.6 जहां भी आवश्यक हो, इकाई के स्थल पर (on site) स्थिर पूंजी निवेश के मूल्याकन एवॅ सत्यापन हेतु शासन द्वारा तकनीकी समिति का गठन किया जा सकता है।

5.7 इकाई को पूंजी उपादान का भुगतान बैंकों/वित्तीय संस्थानों, एवॅ आवश्यकतानुसार तकनीकी समिति की सत्यापन-आख्या प्राप्त होने के पश्चात नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर मिशन निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

5.8 पॅूजी उपादान केवल स्थिर पूंजी पर अनुमन्य होगा। इस प्रोत्साहन हेतु भूमि पर किसी पूंजीगत निवेश को सम्मिलित न किया जायेगा।

5.9 इस योजना का लाभ केवल उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूंजी उपादान का लाभ न लिया हो।

5.10 जिन इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें पूंजी उपादान का भुगतान सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

6- <u>पूंजी उपादान प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया</u>

6.1 इस योजना के अन्तर्गत पूंजी उपादान प्राप्त करने की इच्छुक औद्योगिक इकाई द्वारा "व्यावसायिक कार्यकलाप" आरम्भ करने से पूर्व इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय/ नीति कार्यान्वयन इकाई में अपना पॅजीयन कराना होगा।

6.2 पूंजी उपादान प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा अपना दावा, निर्धारित आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-1) पर, आवश्यक अभिलेखों सहित, व्यावसायिक उत्पादन/परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) को प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6.3 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपादान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तथा चेक-लिस्ट के अनुरूप समस्त वांछनीय अभिलेख संलग्न किये गये हैं। वांछनीय अभिलेखों के बिना अथवा अपूर्ण आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार न किये जायेंगे।

6.4 सँयंत्र एवं मशीनरी क्रय से सम्बन्धित समस्त भुगतान "एकाउन्ट पेयी चेक", डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक हस्तान्तरण के अन्य माध्यमों, जैसा भी हो, द्वारा किये गये हों। पूंजी उपादान की गणना हेतु नकद रूप में भुगतान को पात्र न माना जायेगा।

6.5 कतिपय प्रासंगिक व्यय, जैसे कि उच्च-लागत वाले व्यय (high value expenses), पँजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित कराये जाने की मांग की जा सकती है।

6.6 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में पी.आई.यू. द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण जोकि उसके विचार में, इकाइयों द्वारा प्रस्तुत दावों की यथार्थता के विनिश्चयन हेतु आवश्यक हो, की मांग की जा सकती है। पी.आई.यू. द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा पी.आई.यू. द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

6.7 इस योजना के अन्तर्गत पूंजी उपादान हेतु पात्रता एवँ उसके परिमाण के निर्धारण हेतु भूमि की लागत को सम्मिलित न किया जायेगा।

6.8 मिशन निदेशालय के अथवा उसके द्वारा नामित प्राधिकृत अधिकारी/तकनीकी समिति द्वारा प्रत्येक इकाई के स्थल का भ्रमण तथा औद्योगिक इकाई के विद्यमान एवँ परिचालनरत होने का भौतिक सत्यापन, आवश्यकतानुसार किया जा सकता है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत विचलन-आख्या (Deviation Report) के सम्बन्ध में अपनी आख्या एवँ टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी।

6.9 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित इकाइयों के मामले में परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनों के मूल्य का सत्यापन सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा किया जायेगा।

7- <u>प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया</u>

7.1 नामित प्राधिकृत अधिकारी/ तकनीकी समिति के कार्य (स्थलीय भ्रमण, मिशन निदेशक के विवेकाधीन अथवा प्रदेश शासन के निर्देशानुसार) स्थूल रूप से निम्नवत् होंगेः-

- औद्योगिक इकाई द्वारा जिन संयंत्रों एवँ मशीनरी के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है, उनकी भौतिक उपलब्धता का सत्यापन।
- यह सुनिश्चित करना कि उपादान हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा जिन संयंत्रों एवँ मशीनरी के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है, क्या उनके अवयव (components/items)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना के प्राविधानों एवँ समय-समय पर निर्गत पश्चातवर्ती स्पष्टीकरण (subsequent clarifications) के अनुरूप हैं।

- संयंत्र एवँ मशीनरी का मूल्य आगणन करते समय, वित्तीय संस्थाओं जिनके द्वारा औद्योगिक इकाई की परियोजना हेतु वित्तपोषण किया गया हो, की appraisal report एवँ अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना।
- स्थलीय भ्रमण की तिथि से 20 कार्य दिवस के अन्दर भ्रमण आख्या प्रस्तुत किया जाना।

7.2 योजना के अन्तर्गत किसी दावे पर संस्तुति/अनुमोदन प्रदान करते समय मिशन निदेशालय द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को, जहां लागू हो दृष्टिगत रखा जायेगाः-

- भौतिक सत्यापन आख्या ।
- स्थलीय भ्रमण दल की मूल्यांकन आख्या (appraisal report) ।
- औद्योगिक इकाई के विद्यमान होने के प्रमाण से सम्बन्धित अभिलेख।
- इकाई के उत्पादन/व्यावसाय के आंकड़े।
- औद्योगिक इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट (TEFR)।
- क्या इकाई द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय हेतु उसका मूल्य भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट/ NEFT/RTGS के माध्यम से किया गया है।
- वित्तीय संस्था(ओं) जिनके द्वारा औद्योगिक इकाई की परियोजना हेतु वित्तपोषण किया गया हो, की appraisal report ।
- इकाई द्वारा अपने दावे के साथ प्रस्तुत विचलन-आख्या (Deviation Report) ।
- संयंत्रों एवँ मशीनरी के अवयव (components/items) पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर प्रदत्त स्पष्टीकरण (clarifications)।

7.3 किसी विशिष्ट दावे को सँस्तुत/अनुमोदित/निरस्त किये जाने के औचित्य एवँ कारणों को विस्तृत रूप से अभिलिखित किया जायेगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये मूल्यांकन के अन्तर्गत संज्ञान में लिये गये संयंत्र एवँ मशीनरी मद की वस्तुओं तथा तकनीकी दल द्वारा किये गये मूल्यांकन के बीच किसी विसंगति/विचलन की स्थिति पर समिति द्वारा उपयुक्त स्पष्टीकरण/औचित्य से सम्बन्धित टिप्पणी दी जायेगी।

7.4 इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन/परिचालन आरम्भ करने की तिथि के पश्चातवर्ती पांच वर्षो की वार्षिक प्रगति आख्या (APR) मिशन निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.5 औद्योगिक इकाई को देय उपादान के परिमाण का निर्धारण/आगणन, पात्र अवयवों (eligible components), जैसा कि योजना में अथवा समय- समय पर मिशन निदेशालय, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अनुवर्ती निर्देशों/स्पष्टीकरण से निर्धारित है, के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बध में किसी संशय की दशा में प्रकरण मिशन निदेशालय, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सन्दर्भित किया जायेगा और मिशन निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।

7.6 शासनादेश निर्गत हो जाने पर इकाई एवं मिशन निदेशालय के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

7.7 विभिन्न पात्र इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उपादान के भुगतान हेतु बैंक को, पात्र इकाई के निर्दिष्ट बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक माध्यम से धनराशि के सीधे हस्तान्तरण के लिए पेमेन्ट-एडवाइस निर्गमन हेतु ई-पेमेन्ट/NEFT/ RTGS का उपयोग किया जायेगा।

8- <u>पात्र इकाई के दायित्व</u>

पूंजी उपादान की प्राप्ति के लिए पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें पी0आई0यू0/इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

9- <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ (उ0प्र0) स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

10- <u>व्यय भार</u>

पूंजी उपादान के वितरण के सम्बन्ध में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

11- <u>समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण</u>

इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अस्वीकृति के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगेः-

(क) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित नोडल अधिकारी जो विशेष सचिव से न्यून स्तर का न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी जो विशेष सचिव से न्यून स्तर का न हो।

(ग) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी जो विशेष सचिव से न्यून स्तर का न हो।

(घ) निदेशक, इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय।

12- <u>पूंजी उपादान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

<u>सँख्या-1088(1)/78-1-2015 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5- निदेशक, उद्योग, कानुपर, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(भू/एन), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- अनु सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग (एच/एम), उ0प्र0 शासन।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

मिशन निदेशक
इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन–पत्र (**अनुलग्नक–1**) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

आवदेन–पत्र

(क)	इकाई का विवरण	
a.)	नाम	
b.)	प्रबन्ध निदेशक/ प्रबन्धन साझीदार/ स्वामी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	
c.)	इकाई का पता	
d.)	दूरभाष नं0	
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॅ0	
f.)	फैक्स नॅ0	
g.)	ई–मेल	
h.)	वेबसाइट	
i.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या	
j.)	सर्विस टैक्स पॅजीयन सं0	
k.)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN)	
l.)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली ☐ साझेदारी ☐ प्राइवेट लिमिटेड ☐ सहकारी ☐ सार्वजनिक ☐ समिति ☐
m.)	व्यवसाय/परिचालन आरम्भ की तिथि	
n.)	इकाई के व्यवसाय एवं विनिर्माण की प्रकृति, प्रस्तावित उत्पादों, स्थापित निर्माण क्षमता तथा विस्तारित निर्माण क्षमता (यदि कोई हो) का विवरण	
o.)	आवेदक के विगत तीन वर्षों का वार्षिक व्यवसाय (Turn-over)	
p.)	विगत तीन वर्षों में, कराधान के उपरान्त लाभ का विवरण	
q.)	भूमि का विवरण (क) आवेदक का स्थल तथा ई.एम.सी. (ख) साइट रेडीनेस (ग) भूमि का क्षेत्रफल (घ) भूमि कय की गई/पट्टे की है (च) भूमि का मूल्य/प्रीमियम	
r.)	सृजित/सम्भावित रोजगार (क) प्रबन्धकीय (ख) पर्यवेक्षक (ग) कुशल (घ) अकुशल	
(ख)	वित्तपोषण का विवरण	

	(क) प्रोमोटर्स / साझेदारों / अंशधारकों के अंशक (Equity) (ख) सावधि ऋण (Term loan) (ग) किराया–क्रय (Hire-Purchase) (घ) लीजिंग (च) सार्वजनिक निर्गम (Public Issue) (छ) अधिमान निर्गम (Preference Issue) (ज) अन्य				
	सावधि ऋण (Term loan) का विवरण				
a.)	बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, पता व दूरभाष सं.				
b.)	स्वीकृत ऋण राशि .				
c.)	ऋण स्वीकृति आदेश एवं तिथि				
d.)	वितरित ऋण राशि				
e.)	ऋण वितरण तिथि				
f.)	ऋण की प्रकृति				
g.)	ब्याज की दर				
h.)	सम्बन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, पता व दूरभाष सं.				
i.)	स्थिर पूँजी निवेश				
	(1) भूमि				
	(2) भवन				
	(3) प्लाण्ट एवं मशीनरी				
	(4) अन्य स्थिर परिसम्पत्तियॉ				
	(5) अन्य				
	योग				
j.)	दावा की गई पूँजी उपादान धनराशि				
(ग)	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज				
a.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति	हॉ	☐	नहीं	☐
b.)	वर्ष के दौरान दाखिल वाणिज्य–कर विवरणी की प्रति	हॉ	☐	नहीं	☐
c.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	हॉ	☐	नहीं	☐
d.)	सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	हॉ	☐	नहीं	☐
e.)	PAN CARD की प्रति	हॉ	☐	नहीं	☐
f.)	विद्यमान क्षमता हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट / सांविधिक सम्परीक्षक का प्रमाण–पत्र	हॉ	☐	नहीं	☐
g.)	वित्तीय सहायता हेतु बैंक / वित्तीय	हॉ	☐	नहीं	☐

	संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रति	
h.)	बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा द्वारा स्वीकृत ऋण का विवरण, देय ब्याज की दर, देय ब्याज की धनराशि तथा आवेदक इकाई/कम्पनी द्वारा अदा किये गये ब्याज की धनराशि तथा बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख/ प्रमाण–पत्र	हॉ ☐ नहीं ☐
i.)	नीति घोषित किये जाने जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि तक प्लाण्ट और मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका मदवार विवरण व उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख/ प्रमाण–पत्र	हॉ ☐ नहीं ☐
j.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र सहित, आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/ छूट का, अद्यतन विवरण	(see table below)
k.)	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त/ इकाई द्वारा ली गई MSIPS अथवा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स से सम्बन्धित किसी अन्य छूट का विवरण	
l.)	आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (खाता नं0 तथा आई.एफ.सी. कोड)	

प्रोत्साहन/ छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि

स्थान:

तिथि:

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक–अ

सॅयन्त्र एवं मशीनों पर निवेश के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर)

संख्याः

दिनॉक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतदद्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री .... के पॅजीकृत कार्यालय .... तथा फैक्ट्री ....पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों के अनुसार, पूॅजी उपादान प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के दिनॉक को, **भूमि को छोड़कर** कुल स्थिर पूॅजी निवेश रू .... (रूपये ....) था। पुनः सत्यापित किया जाता है कि स्थिर पूॅजी निवेश के अन्तर्गत पुराने प्लाण्ट एवं मशीनरी की लागत को सम्मिलित नहीं किया गया है।

स्थानः

तिथिः

हस्ताक्षर एवं मुहर

वचन–पत्र (Undertaking)

मैं ....(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री .... निवासी .... – एतद्द्वारा निम्नवत् वचन देता हूँ:–

1 यह कि अधोहस्ताक्षरी–प्रार्थी सर्वश्री .... (नाम) जिसका पॅजीकृत कार्यालय ....(पता) एवॅ फैक्ट्री ....(पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक * है।.

2 यह कि सर्वश्री .... द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रानिक्स निर्माण नीति–2014 में विहित व्यवस्थानुसार, पूँजी उपादान की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* – सर्वश्री .... एक पूरक/सूक्ष्म/लघु*उद्यम है तथा पूँजी उपादान हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्यरत/ उत्पादनरत* थी तथा फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान* निरन्तर कार्यरत/उत्पादनरत* रही है।

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान* प्राप्त नहीं किया गया है।

अथवा

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान/एम.सिप्स* को पूँजी उपादान* के लिए दावा किया गया था और रू .... (रूपये ....) ....(बैंक) के चेक/ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पूँजी उपादान* के रूप में प्राप्त किया गया है।

5 यह कि यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* को पूँजी उपादान प्राप्त होता है तो इस तथ्य की उद्घोषणा में आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान* इत्यादि द्वारा संचालित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति का दावा करते समय करूँगा।

6 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये

जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान लिखित मॉग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की भॉति कर ले।

स्थान
तिथि

प्रार्थी